न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः— 05/2015 (225 आर. टी. एक्ट)
आर0सी0एम0एस0 संख्या :— 2015/00035

उनवान

1. पूरन पुत्र मूला
2. वीर सिंह
3. देवो
4. उदयवीर

पुत्रान पूरन जाति जाट नि0 ग्राम पुरावाई खेडा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

देवीचरन पुत्र श्री द्वारिका जाति ब्राहम्ण निवासी पुरावाई खेडा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील संख्या 11/2016 (225 आर0टी0ए0)
आरसीएमएस संख्या :— 2016/00012

उनवान

देवीचरन पुत्र श्री द्वारिका जाति ब्राहम्ण निवासी पुरावाई खेडा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

बनाम

1. पूरन पुत्र श्री मूला जाति जाट निवासी पुरावाईखेडा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

..... असल रेस्पोंडेंट।

2. अमित
3. नरेश

पिसरान देवीचरन जाति ब्राहम्ण निवासी पुरावाईखेडा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, बयाना क्रमशः दिनांक 15.10.2014 प्र0स0 24/13 उनवानी देवीचरन बनाम पूरन वगै0 एवं दिनांक 12.03.2016 प्र0स0 30/13 उनवानी पूरन बनाम देवीचरन मु0न0

अभिभाषकगण :—

1. अभि0 पूरन वगै0 श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. अभि0 देवचरन वगै0 श्री दिनेश चन्द शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक :— 11.07.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. यह दोनों अपीलें इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, बयाना के वाद संख्या 24/13 उनवान देवीचरन बनाम पूरन निर्णय दिनांक 15.10.2014 एवं वाद संख्या 30/13 उनवान पूरन बनाम देवीचरन निर्णय दिनांक 12.03.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। चूँकि दोनों अपीलो में तथ्य, विवादित भूमि व पक्षकार एक ही हैं, इसलिए दोनों अपीलों को एक ही निर्णय से निस्तारित किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में शामिल की जावें।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी देवीचरन ने एक प्रार्थना पत्र संख्या 24/13 अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व हस्व आदेश 39 नियम 1 व 2 व दफा 151 जा0दी0 विरूद्ध अप्रार्थीगण पूरन वगै0 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 170, 171, 172, 173, 174, 176 प्रार्थी देवीचरन एवं शोभनार्थ प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की आराजी है। अप्रार्थीगण पूरन वगै0 एक लठैत किस्म के एवं राजनैतिक प्रभाव वाले व्यक्ति हैं तथा प्रार्थी अकेला व शान्त स्वभाव का व्यक्ति है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की इस स्थिति का नायजाज फायदा उठाने की नियत से, प्रार्थी की आराजी को हडपना चाहते हैं। यदि अप्रार्थीगण अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो, प्रार्थी को अपरमित क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायाल ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.10.2014 से स्वीकार करते हुए, ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया।

3. दूसरा प्रार्थना पत्र संख्या 30/13 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रार्थी पूरन ने विरूद्ध अप्रार्थीगण देवीचरन वगै0 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 154 रकवा 0.11 है0 वाके ग्राम पुरावाईखेडा तहसील बयाना में प्रार्थी 6/11 हिस्से का तरतीवी प्रतिवादी 5/11 हिस्से का खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है। उक्त विवादित आराजी प्रार्थी ने दिनांक 15.07.1994 को स्व0 बद्री पुत्र वनखण्डी जाति ब्राहम्ण से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा क्रय की है एवं उसी दिन से प्रार्थी विवादित भूमि पर वहैसियत खातेदार काश्तकार एवं काबिज चला आ रहा है। अप्रार्थीगण देवीचरन वगै0 एक लठैत किस्म का व्यक्ति है, जो लट्ठ के बल पर प्रार्थी की उक्त विवादित आराजी को हडपना चाहता है। यदि अप्रार्थीगण अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो, प्रार्थी को अपरमित क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायाल ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2016 से स्वीकार करते हुए, ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया।

4. उक्त दोनों अपीलाधीन आदेश क्रमशः 15.10.14 एवं 12.03.2016 के विरूद्ध, वर्तमान दोनों अपीले क्रमशः 05/15 उनवान पूरन बनाम देवीचरन एंव 11/2016 उनवान देवीचरन बनाम पूरन इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी हैं।

5. अपीलें प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों को तलब किया गया। दोनों पक्षों के अधिवक्तागणो की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अभिभाषक पूरन वगै0 ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट दिनांक 20.05.2014 के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खसरा नम्बर 154 के अपीलाण्ट खातेदार काश्तकार काबिज हैं उसमें देवीचरन वगै0 का कोई संबंध नहीं है और इस तरह से उसके खसरा नम्बर 171 पर उन्होनें कोई अतिक्रमण नहीं किया है। बल्कि अपीलाण्ट के खसरा नम्बर की स्थिति, मौके की स्थिति के विपरीत नक्शें में उनकी खातेदारी के खसरा नम्बर 154 की तरफ दिखा रखी है, जो कि विवाद की मूल जड है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुए, अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.10.2014 खारिज किये जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता देवीचरन वगै0 ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क प्रस्तुत किये कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि अपीलाधीन आदेश की आड में पूरन वगै0 अपीलाण्ट के रकवा पर नाजायज कब्जा करने का इरादा रखता है। पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का की मौका निरीक्षण रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित है कि विवाद खसरा नम्बर 171 व 154 के मध्य की मेड पर है एवं उक्त रिपोर्ट में यह भी अंकित है कि पूरन वगै0 ने अपीलाण्ट की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 171 का कुछ रकवा जबरन अपने खसरा नम्बर 154 में मिला लिया है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुविधा माप व अपरमित क्षति के बिन्दुओ पर कोई गौर नहीं करते हुये अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2016 खारिज किये जाने का निवेदन किया।

8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया। प्रकरण में यह तथ्य तो निर्विवाद है कि खसरा नम्बर 154 के खातेदार काश्तकार पूरन वगै0 एवं खसरा नम्बर 171 के देवीचरन वगै0 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड हैं। परन्तु मुख्य विवाद उक्त खसरा नम्बर 171 व 154 के मध्य की मेढ पर है। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों परस्पर विरोधी वादो के साथ प्रस्तुत, प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार करते हुए, अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की है। पक्षकारो के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो, अतः खसरा नम्बर 171 के खातेदार को, खसरा नम्बर 154 में हस्तक्षेप एवं खसरा नम्बर 154 के खातेदार को, खसरा नम्बर 171 में हस्तक्षेप ना करने हेतु पाबन्द किया जाना न्यायोचित ही है। लिहाजा हम दोनों अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

9. अतः आदेश है कि दोनों अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय दिनांक क्रमशः 15.10.2014 एवं 12.03.2016 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

10. निर्णय आज दिनांक 11.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर